NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 17-09-2026

विषय सूची

राजनीति का अपराधीकरण एवं विधायकों के विरुद्ध मामलों के विचारण में विलंब

मेटा द्वारा भारतीय एजेंसियों के साथ बाल सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करना

अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए जाने की स्वीकारोक्ति

पीएम विश्वकर्मा योजना

संक्षिप्त समाचार

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की 150वीं जयंती

भारत–मर्कोसुर सहयोग

यूरोपीय संघ के कार्बन कर के लिए भारत की तैयारियाँ

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना

कोबरा (CoBRA) बटालियन

सैन्य अभ्यास "युद्ध अभ्यास"

हिमालय एक निर्णायक पर्यावरणीय सीमा की ओर

एशिया कप

राजनीति का अपराधीकरण एवं विधायकों के विरुद्ध मामलों के विचारण में विलंब

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि सांसदों और विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए गठित विशेष न्यायालय लंबित मामलों की संख्या को उल्लेखनीय रूप से कम करने में सफल नहीं हुए हैं।

पृष्ठभूमि

- **अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ (2017)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान एवं पूर्व सांसदों तथा विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 10 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 12 विशेष न्यायालयों की स्थापना का निर्देश दिया था।
- न्यायालय ने इन न्यायालयों को पहले ऐसे मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया, जिनमें **आजीवन कारावास** का दंड निर्धारित है तथा उसके बाद ऐसे अपराधों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देने को कहा, जिनमें **5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास** का प्रावधान है।
- उच्च न्यायालयों को निगरानी तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया, जबकि विचारण न्यायालयों को दुर्लभ एवं अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर कार्यवाही स्थगित करने से बचने का निर्देश दिया गया।

राजनीति का अपराधीकरण

- राजनीति का अपराधीकरण ऐसे व्यक्तियों की निर्वाचन राजनीति में बढ़ती भागीदारी को संदर्भित करता है, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। **गंभीर आपराधिक आरोप** में ऐसे अपराध शामिल हैं, जिनमें अधिकतम 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंड निर्धारित है अथवा जो **गैर-जमानती** हैं।
- लोकसभा में 543 में से **251 सांसदों** ने अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों की घोषणा की थी, जिनमें **170 मामले गंभीर आपराधिक मामलों** की श्रेणी में आते हैं और जिनमें 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंड निर्धारित है।
- राज्यसभा में 233 में से **75 सांसदों** ने अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों की घोषणा की थी, जिनमें **40 गंभीर आपराधिक मामले** शामिल हैं।
- कुल **4,111 राज्य विधायकों** में से **2,098 विधायकों** ने अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों की घोषणा की थी, जिनमें **1,286 गंभीर आपराधिक मामले** शामिल हैं।

राजनीति के अपराधीकरण के कारण

- **कमजोर अयोग्यता संबंधी कानून:** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत उम्मीदवार को केवल **दोषसिद्धि के बाद** ही चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाता है।
  - चूँकि विचारण में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए आरोपित उम्मीदवार किसी निर्णय के आने से पहले कई चुनाव लड़ सकते हैं।
- **धन एवं बाहुबल:** वित्तीय संसाधनों और स्थानीय प्रभाव वाले आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को प्रायः **"विजयी होने की अधिक संभावना वाले" उम्मीदवार** के रूप में देखा जाता है।
- **मतदाता जागरूकता का निम्न स्तर:** शपथपत्रों के माध्यम से उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाती है, किंतु अनेक मतदाता इससे अवगत नहीं होते अथवा जाति एवं धार्मिक आधार पर मतदान करते हैं।
- **राजनीतिक दलों की सहभागिता:** राजनीतिक दल प्रायः आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने को उनकी **"लोकप्रियता" एवं "निर्वाचन संभावनाओं"** का हवाला देकर उचित ठहराते हैं।
- **वोहरा समिति की रिपोर्ट (1993):** इस समिति ने संगठित अपराध, राजनीतिक व्यक्तियों तथा सरकार एवं प्रशासनिक तंत्र के अंदर विद्यमान तत्वों के बीच संबंधों का अध्ययन किया और विधि के शासन पर इनके दुष्परिणामों को रेखांकित किया।

राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव

- **लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण:** यह प्रतिनिधिक लोकतंत्र की भावना को कमजोर करता है, क्योंकि इससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की आधारभूत अवधारणा प्रभावित होती है तथा मतदाताओं के समक्ष विकल्प सीमित हो जाते हैं।
- **भ्रष्टाचार:** आपराधिक समूहों की उपस्थिति के कारण मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदान केंद्रों पर नियंत्रण तथा चुनावी अभियानों में काले धन के उपयोग सहित चुनावी कदाचार की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है।
- **जनविश्वास में कमी:** भ्रष्ट एवं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले विधायकों का बार-बार निर्वाचित होना मतदाताओं की चुनावी भागीदारी में कमी तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनविश्वास के ह्रास का कारण बन सकता है।

प्रमुख समितियों की सिफारिशें

- **विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट (2014):** विधि आयोग ने ऐसे अपराधों के संबंध में, जिनमें अधिकतम 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंड निर्धारित है, उम्मीदवारों के विरुद्ध आरोप निर्धारित होते ही उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की सिफारिश की।

- रिपोर्ट में वर्तमान सांसदों एवं विधायकों के विरुद्ध मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए **त्वरित विचारण न्यायालयों** की स्थापना के माध्यम से विचारण में तीव्रता लाने की विशेष सिफारिश की गई।

- **संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (2002):** आयोग ने राजनीतिक दलों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय का **वैधानिक लेखापरीक्षण** तथा उम्मीदवारों की **संपत्ति एवं देनदारियों के प्रकटीकरण** सहित विभिन्न उपायों की सिफारिश की।
- **इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007):** दोनों ने काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चुनावों के **आंशिक राज्य वित्तपोषण** की सिफारिश की।

सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप

- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013):** न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी वर्तमान सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य को ऐसे अपराध में दोषसिद्धि होने पर, जिसमें **दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास** का दंड दिया गया हो, तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018):** न्यायालय ने राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के आपराधिक अभिलेख सार्वजनिक करने का निर्देश दिया, जिसमें अपराधों एवं आरोपों की प्रकृति का विवरण शामिल हो।
- **2020 में:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों का विवरण अपनी **ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया और समाचार-पत्रों** में प्रकाशित करें। साथ ही, उम्मीदवार के चयन के **48 घंटे के अंदर** उसके चयन के कारणों का भी उल्लेख करने का निर्देश दिया गया।

आगे की राह

- राजनीतिक हस्तक्षेप से संस्थागत सुरक्षा उपायों के साथ **स्वतंत्र अभियोजन शाखाओं** की स्थापना की जानी चाहिए।
- उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित **स्थगन एवं आरोप निरस्तीकरण याचिकाओं** के समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- **साक्षी संरक्षण योजना, 2018** के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- जाँच, आरोप-पत्र दाखिल करने, समन की तामील, गवाहों की उपस्थिति, स्थगन तथा स्थगनादेशों की निगरानी के लिए **अंकीय वाद-निगरानी प्रणालियों** का उपयोग किया जाना चाहिए।
- निर्वाचन संबंधी अयोग्यता के किसी भी सुधार में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के उद्देश्य तथा **उचित प्रक्रिया एवं निर्दोषता की पूर्वधारणा** के सिद्धांत के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

मेटा द्वारा भारतीय एजेंसियों के साथ बाल सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करना

संदर्भ

- इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने भारत में बाल यौन शोषण सामग्री को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संचालित साइबर अपराध पोर्टल के साथ साझा करने पर सहमति व्यक्त की है।

परिचय

- यह कदम मेटा की बढ़ती जाँच-पड़ताल के बीच सामने आया है। ऐसी रिपोर्टें सामने आई थीं कि सोशल मीडिया मंचों पर विज्ञापनों के माध्यम से बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री प्रदर्शित की जा रही थी।
- इससे पहले, भारतीय एजेंसियाँ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और लापता एवं शोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय केंद्र के बीच वर्ष 2019 में हुए समझौता ज्ञापन के माध्यम से ऐसी रिपोर्टों तक पहुँच प्राप्त करती थीं।

बाल यौन शोषण सामग्री

- बाल यौन शोषण सामग्री, जिसे सामान्यतः **"बाल अश्लील सामग्री"** भी कहा जाता है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों से संबंधित यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों के किसी भी दृश्य निरूपण को संदर्भित करती है।
- बाल यौन शोषण सामग्री शोषण की दर्ज की गई प्रति होती है, चाहे वह यौन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा भावनात्मक शोषण से संबंधित हो, जिसे व्यापक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्रसारित एवं उपलब्ध कराया जाता है।

सोशल मीडिया बच्चों को किस प्रकार अधिक सुभेद्य बना रहे हैं?

- **ऑनलाइन विश्वास अर्जन:** अपराधी यौन शोषण अथवा उत्पीड़न के उद्देश्य से बच्चों का विश्वास हासिल करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित शोषणकारी सामग्री:** यह एक उभरती हुई चिंता है, क्योंकि ऐसी सामग्री की पहचान एवं जाँच को अधिक जटिल बना देती है।

- **भ्रामक संरचनाएँ एवं व्यसनकारी अभिकल्पना:** ये बच्चों को अत्यधिक समय तक मंचों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करती हैं तथा उन्हें चालाकीपूर्ण वाणिज्यिक अथवा हानिकारक सामग्री के संपर्क में लाती हैं।
- **धोखाधड़ी एवं प्रतिरूपण:** बच्चों की सीमित अंकीय जागरूकता का दुरुपयोग नकली प्रोफाइल, छलपूर्ण संदेशों, खेल संबंधी घोटालों तथा हानिकारक कड़ियों के माध्यम से किया जाता है।

ऑनलाइन बाल शोषण को रोकने के उपाय

- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012:** इसकी धारा 13 से 15 तक बच्चों का अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग तथा बाल यौन शोषण सामग्री के भंडारण एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** इसकी धारा 67ख बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में दर्शाने वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण, अवलोकन, डाउनलोड, विज्ञापन अथवा वितरण को अपराध घोषित करती है।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023:** इसमें तस्करी किए गए बच्चों के यौन शोषण के विरुद्ध प्रावधान किए गए हैं, जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के पूरक हैं।
- **सहयोग पोर्टल:** यह पूरे भारत में अधिकृत एजेंसियों द्वारा अवैध सामग्री को हटाने के लिए मध्यस्थ संस्थाओं को स्वचालित एवं केंद्रीकृत सूचनाएँ भेजने की सुविधा प्रदान करता है।

सोशल मीडिया से उत्पन्न अन्य उभरते खतरे

- **भ्रामक सूचना:** गलत अथवा जानबूझकर भ्रामक जानकारी तीव्रता से प्रसारित हो सकती है तथा लोगों के ज्ञान एवं निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।
- **कृत्रिम रूप से परिवर्तित दृश्य-श्रव्य सामग्री:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित ऐसी सामग्री का उपयोग प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने तथा सार्वजनिक विमर्श में हेरफेर के लिए किया जा सकता है।
- **साइबर अपराध एवं वित्तीय धोखाधड़ी:** सोशल मीडिया मंचों का उपयोग छलपूर्ण संदेशों, पहचान की चोरी, निवेश संबंधी योजनाओं तथा प्रतिरूपण सहित साइबर अपराध एवं वित्तीय धोखाधड़ी के लिए तीव्रता से किया जा रहा है।
- **प्रतिध्वनि कक्ष एवं ध्रुवीकरण:** ये वर्तमान विचारों को और अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के विचारों के संपर्क को सीमित कर सकते हैं तथा सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकते हैं।
- **साइबर उत्पीड़न:** यह व्यक्तियों की सुरक्षा, गरिमा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है।
- **कट्टरपंथीकरण एवं दुर्भावनापूर्ण प्रचार:** सोशल मीडिया के नेटवर्क का उपयोग भर्ती, लामबंदी तथा चरमपंथी विचारों के प्रसार के लिए किया जा सकता है।

आगे की राह

- चूँकि सोशल मीडिया व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन को निरंतर अधिक प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए **अंकीय सुरक्षा** को सुशासन का अभिन्न अंग बनाया जाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत नवाचार और निजता, सुरक्षा तथा मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा।
- भारत के दृष्टिकोण को केवल **सामग्री के नियंत्रण** से आगे बढ़कर **सुरक्षा-आधारित अभिकल्पना** की ओर विकसित होना चाहिए। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया मंचों में तकनीकी अभिकल्पना के प्रारंभिक चरण से ही उभरते अंकीय खतरों से सुरक्षा के उपायों को अंतर्निहित किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए जाने की स्वीकारोक्ति

संदर्भ

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि उसने अंतरिक्ष में सक्रिय हथियार तैनात किए हैं। किसी भी देश द्वारा इस प्रकार की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति प्रथम बार की गई है।

परिचय

- अमेरिका ने तैनात किए गए हथियारों की प्रकृति अथवा उन्हें कब तैनात किया गया, इसका प्रकटीकरण नहीं किया है।
- चीन और रूस की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, जिन्हें अमेरिका अपने अंतरिक्ष संबंधी प्रतिद्वंद्वी मानता है।
  - दोनों देशों ने अमेरिका से अपनी सैन्य क्षमताओं के विस्तार तथा बाह्य अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी को रोकने का आग्रह किया।

अंतरिक्ष का सैन्यीकरण

- बाह्य अंतरिक्ष के सैन्य उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित क्षमताएँ शामिल हैं:
  - पृथ्वी से प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपित करके शत्रु के उपग्रहों अथवा अन्य अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता।

- अंतरिक्ष से हथियारों का उपयोग करके पृथ्वी पर स्थित लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता।
- अंतरिक्ष-आधारित हथियारों का उपयोग करके अंतरिक्ष में स्थित लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता।

- शत्रु की अंतरिक्ष-आधारित तथा पृथ्वी-आधारित प्रणालियों के बीच संचार को बाधित करने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने की क्षमता तथा उसके साइबर नेटवर्क पर आक्रमण करने की क्षमता भी संघर्ष की स्थिति में अत्यंत प्रभावी हो सकती है।
- कई देशों ने इनमें से कुछ अथवा सभी क्षमताओं का विकास किया है। ऐसी क्षमताओं का सबसे स्पष्ट प्रदर्शन **उपग्रह-रोधी परीक्षणों** के माध्यम से हुआ है, जिनमें देश अंतरिक्ष में स्थित किसी उपग्रह को नष्ट करने के लिए प्रक्षेपास्त्र का उपयोग करते हैं।
  - **अमेरिका, रूस, चीन और भारत** इन क्षमताओं का प्रदर्शन कर चुके हैं।

• STAR WARS

Use of weapons in space can take different forms. They can be used to either ● destroy, or to ♦ jam, equipment.

EARTH-TO-SPACE	SPACE-TO-SPACE	SPACE-TO-EARTH
Anti-satellite tests	Co-orbital satellites	Weapons deployed in space
● Involves launching missiles from earth to destroy space-based assets	One satellite can be programmed to crash into an enemy satellite	Satellite-based weapons can deorbit, enter atmosphere, and strike Earth-based targets
● Four countries demonstrated this	Soviet Union reported to have tested this during the Cold War	Not demonstrated
♦ Earth-based systems can jam or 'blind' signals of enemy satellites	Using space-based assets to jam or block the signals or comms of enemy satellites	Use of space-based systems to interfere or disrupt functioning of radars, missiles or aircraft
♦ Many have this capability	No known capability	Not known

अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाले कानून

- सभी देश अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर बल देते हैं तथा एक-दूसरे से अंतरिक्ष के सैन्यीकरण से बचने का आह्वान करते हैं।
  - हालाँकि, ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है जो अंतरिक्ष में इस प्रकार के हथियारों अथवा सैन्य रणनीतियों की तैनाती या उपयोग को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता हो।
- **1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि** देशों को अंतरिक्ष में परमाणु हथियार अथवा **"अन्य प्रकार के सामूहिक विनाश के हथियार"** ले जाने या स्थापित करने से प्रतिबंधित करती है।
  - हालाँकि, यह पारंपरिक हथियारों अथवा अंतरिक्ष में स्थित भौतिक अवसंरचना को निशाना बनाने वाले हथियारों के संबंध में मौन है।
  - इसमें पृथ्वी से अंतरिक्ष को निशाना बनाने वाले हथियारों के संबंध में भी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि 1960 के दशक में ऐसी तकनीक का विकास अभी दूर की संभावना था।
- अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती एवं उनके उपयोग को विनियमित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विधिक ढाँचा तैयार करने के प्रयास किए गए हैं, किंतु सभी प्रमुख अंतरिक्ष शक्तियों का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका है।
- **आर्टेमिस समझौते**, जो नासा और अमेरिकी विदेश विभाग की एक पहल है, अंतरिक्ष के अन्वेषण के संबंध में एक स्वैच्छिक आचार संहिता है। इसमें भारत सहित **70 से अधिक देशों** ने हस्ताक्षर किए हैं।
  - सभी सहयोगात्मक गतिविधियाँ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए की जानी हैं, किंतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो हस्ताक्षरकर्ता देशों को अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती अथवा उनके उपयोग से रोकता हो।

स्रोत: IE

पीएम विश्वकर्मा योजना

संदर्भ

- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लगभग तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस योजना ने 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

योजना के बारे में

- वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसके लिए वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि हेतु 13,000 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, जिनमें बढ़ई, नाव निर्माता, कवच निर्माता, लोहार, हथौड़ा एवं औजार निर्माता, ताला बनाने वाला, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार/पत्थर तराशने वाला/पत्थर तोड़ने वाला, मोची/जूता निर्माता/पादत्राण कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी निर्माता/टोकरी बुनकर, चटाई निर्माता/नारियल रेशा बुनकर/झाड़ू निर्माता, पारंपरिक गुड़िया एवं खिलौना निर्माता, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी तथा मछली पकड़ने के जाल का निर्माता शामिल हैं।
- यह योजना सम्मान, सामर्थ्य एवं समृद्धि के तीन स्तंभों पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा और पारंपरिक कौशलों की परिवार-आधारित कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करना है।

- **पात्रता :**
  - यह योजना 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए उपलब्ध है, जो सूचीबद्ध व्यवसायों में अपने हाथों एवं औजारों से कार्य करते हैं तथा असंगठित क्षेत्र में स्व-रोजगार से जुड़े हैं।
  - सरकारी कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  - विगत पाँच वर्षों के दौरान निर्धारित समान ऋण-आधारित स्व-रोजगार अथवा व्यवसाय ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति सामान्यतः इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होते हैं। हालाँकि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के वे लाभार्थी, जिन्होंने अपना ऋण पूर्णतः चुका दिया है, पात्र हो सकते हैं।
- **प्रमुख लाभ**
  - **मान्यता:** पंजीकरण एवं सत्यापन के बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र एवं पहचान-पत्र प्रदान किया जाता है।
  - **कौशल प्रशिक्षण:** 5 से 7 दिनों का मूलभूत प्रशिक्षण तथा 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये का वजीफा दिया जाता है।
  - **औजार प्रोत्साहन:** 15,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।
  - **ऋण सहायता:** बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा के अधिकतम 3 लाख रुपये तक का उद्यम विकास ऋण दो चरणों में प्रदान किया जाता है—पहले चरण में 1 लाख रुपये तथा दूसरे चरण में 2 लाख रुपये। इनकी ऋण अवधि क्रमशः 18 माह एवं 30 माह है। ऋण पर 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर निर्धारित है तथा भारत सरकार द्वारा 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है।
  - **विपणन सहायता:** उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांड निर्माण, सरकारी ई-बाजार जैसे वाणिज्यिक मंचों पर पंजीकरण, विज्ञापन, प्रचार-प्रसार तथा अन्य विपणन गतिविधियों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कारीगरों एवं शिल्पकारों को मूल्य श्रृंखला से बेहतर जुड़ाव प्राप्त हो सके।

स्रोत: DDNews

संक्षिप्त समाचार

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की 150वीं जयंती

समाचार में

- प्रधानमंत्री ने शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय

- शरतचंद्र चट्टोपाध्याय एक बंगाली लेखक थे, जिनकी रचनाओं ने भाषाई सीमाओं को पार करते हुए पूरे भारत और विदेशों में भी व्यापक स्वीकृति प्राप्त की।
- उनका जन्म वर्ष **1876 में बंगाल के देवानंदपुर** में हुआ था। बाद में वर्ष **1903 में वे रंगून (म्यांमार)** चले गए, जहाँ वे वर्ष 1916 तक रहे।
- वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे तथा वर्ष **1921 से 1936 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हावड़ा इकाई के अध्यक्ष** रहे।

साहित्यिक कृतियाँ

- उन्हें कम आयु से ही लेखन में रुचि थी। युवावस्था में उन्होंने **'कोरेल' और 'काशीनाथ'** जैसी कहानियाँ लिखीं। लेखन की यह प्रवृत्ति उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी।
- उन्होंने **'परिणीता' (1914), 'बिराज बहू' (1914) और 'पल्ली समाज' (1916)** जैसी अपनी कुछ प्रमुख रचनाओं की रचना की।
- वे एक ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे, जिन्होंने सशक्त एवं स्वतंत्र महिलाओं का चित्रण किया तथा सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी।
  - उदाहरण के लिए, **'स्वामी' और 'चरित्रहीन'** दो अत्यंत प्रभावशाली कालजयी उपन्यास हैं, जिनमें अंधविश्वास, सामाजिक उत्पीड़न और कठोर सामाजिक मान्यताओं पर प्रहार किया गया है तथा निर्धन एवं वंचित वर्गों की समस्याओं को केंद्र में रखा गया है।
- उन्होंने **'देवदास', 'पथेर दाबी' और 'श्रीकांत'** जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों की भी रचना की।
  - **'देवदास'** उनके अपेक्षाकृत कम प्रशंसित उपन्यासों में से एक है, जो वर्ष 1917 में प्रकाशित हुआ था। **'पथेर दाबी'** में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तथा औपनिवेशिक शासन के विरोध को चित्रित किया गया है।
  - **'श्रीकांत'** का नाम इसके मुख्य पात्र श्रीकांत के नाम पर रखा गया है, जो एक घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करता है।

स्रोत: PIB

भारत–मर्कोसुर सहयोग

समाचार में

- भारत और दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह **मर्कोसुर** ने अपने वर्तमान **अधिमान्य व्यापार समझौते** के विस्तार के लिए वार्ता प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करना तथा दोनों पक्षों के व्यवसायों के लिए अधिक अवसर उत्पन्न करना है।

मर्कोसुर के बारे में

- **दक्षिणी साझा बाजार (मर्कोसुर)** एक क्षेत्रीय समूह है, जिसमें **अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला और बोलीविया** शामिल हैं।
  - हालाँकि, **वर्ष 2016 में वेनेजुएला को इस समूह से निलंबित** कर दिया गया था।

भारत के संबंध

- वर्ष **2025-26 (अप्रैल-अक्टूबर)** में भारत एवं मर्कोसुर के सदस्य देशों—अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे—के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार **11.84 अरब अमेरिकी डॉलर** रहा, जिसमें भारत का निर्यात **5.22 अरब अमेरिकी डॉलर** तथा आयात **6.62 अरब अमेरिकी डॉलर** रहा।
- भारत का मर्कोसुर के साथ **जून 2009 से अधिमान्य व्यापार समझौता** है, किंतु इसका दायरा अभी सीमित है।
  - मर्कोसुर के बाजार में भारतीय निर्यातकों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें **उच्च शुल्क बाधाएँ, रसद संबंधी अक्षमताएँ, विनियामक जटिलताएँ तथा सांस्कृतिक अंतर** शामिल हैं।
- वर्तमान समझौते में भारत की लगभग **450 शुल्क मदें** तथा मर्कोसुर की **452 शुल्क मदें** शामिल हैं, जिन पर **10% से 100% तक शुल्क रियायतें** प्रदान की गई हैं।

स्रोत:HT

यूरोपीय संघ के कार्बन कर के लिए भारत की तैयारियाँ

समाचार में

- भारत ने निर्यातकों को यूरोपीय संघ के **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र** का अनुपालन करने के लिए अपनी तैयारियाँ तीव्र कर दी हैं। इसके लिए प्रमुख मंत्रालयों, नियामकों और उद्योग संगठनों को शामिल करते हुए **यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के लिए निर्यात तत्परता समिति** का गठन किया गया है।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र

- यह कुछ आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला **कार्बन आधारित कर** है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके **कार्बन रिसाव** को न्यूनतम करना है कि आयातित वस्तुओं पर कार्बन की लागत यूरोपीय संघ के निर्माताओं द्वारा वहन की जाने वाली कार्बन लागत के अनुरूप हो।
- इसका उद्देश्य कार्बन रिसाव को रोकना है, ताकि आयातित वस्तुओं की कार्बन लागत उनके अंतर्निहित उत्सर्जन को प्रतिबिंबित करे। यह यूरोपीय संघ की **उत्सर्जन व्यापार प्रणाली** का पूरक है तथा स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।
- यह तंत्र वर्ष **2023 से 2025 तक संक्रमणकालीन चरण** में था और **1 जनवरी 2026 से अंतिम व्यवस्था** के रूप में लागू हो गया है। इसमें आयातकों का अनुमोदन, उत्सर्जन की रिपोर्टिंग तथा कार्बन सीमा समायोजन प्रमाण-पत्रों की खरीद एवं समर्पण जैसी बाध्यताएँ शामिल हैं।
- यह **सीमेंट, लौह एवं इस्पात, एल्युमिनियम, उर्वरक, ऊर्जा और हाइड्रोजन** क्षेत्रों में कुछ कार्बन-गहन आयातों पर लागू होता है।

विकासशील देशों का दृष्टिकोण

- भारत और चीन जैसे उभरते देशों ने यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र को संभावित **एकतरफा एवं भेदभावपूर्ण व्यापार उपाय** के रूप में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि इससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हो सकती है तथा जलवायु कार्रवाई का दायित्व उन पर अधिक पड़ सकता है।
- वे वैश्विक जलवायु व्यवस्था में **साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताओं** के सिद्धांत पर भी बल देते हैं।

स्रोत: ET

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना

संदर्भ

- हाल ही में यमुना बेसिन के छह राज्यों ने लंबे समय से लंबित **किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना** के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे वर्षों से रुकी इस परियोजना के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

किशाऊ परियोजना के बारे में

- किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड–हिमाचल प्रदेश सीमा पर **टोंस नदी** पर प्रस्तावित एक बाँध परियोजना है।

- यह परियोजना **8 वर्षों से अधिक समय से लंबित** थी तथा इसमें **हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली** शामिल हैं।
- इस परियोजना को **राष्ट्रीय परियोजना** घोषित किया गया है। जल घटक की लगभग **90% वित्तीय लागत केंद्र सरकार** द्वारा वहन की जाएगी, जबकि शेष **10% लागत यमुना जल समझौते (1994)** के अनुसार संबंधित राज्यों द्वारा साझा की जाएगी।

यमुना नदी बेसिन

- यमुना बेसिन **गंगा नदी तंत्र के प्रमुख नदी बेसिनों** में से एक है तथा सिंचाई, पेयजल, जलविद्युत, पारिस्थितिकी और अंतरराज्यीय जल बँटवारे की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **उद्गम:** उत्तराखंड में **बंदरपूँछ पर्वत श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद** से।
- **बेसिन में शामिल प्रमुख राज्य/केंद्रशासित प्रदेश:** उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली।
- **संगम:** उत्तर प्रदेश के **प्रयागराज** में गंगा नदी से संगम।
- **प्रमुख सहायक नदियाँ:** टोंस, गिरि, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन।
- **ऊपरी बेसिन की प्रमुख परियोजनाएँ:** लखवाड़, रेणुकाजी और किशाऊ सहित अन्य परियोजनाएँ।

स्रोत: IE

कोबरा(CoBRA) बटालियन

संदर्भ

- 2006 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी संजुक्ता पाराशर, जिन्हें पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद-रोधी अभियानों में उनके योगदान के कारण लोकप्रिय रूप से 'असम की लौह महिला' कहा जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशिष्ट कोबरा इकाई का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला अधिकारी बन गई हैं।

कोबरा के बारे में

- कोबरा, अर्थात दृढ़ कार्रवाई के लिए कमांडो बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सबसे विशिष्ट परिचालन संगठनों में से एक है।
- वर्ष 2008-09 में गठित इस बल को जंगल एवं गुरिल्ला युद्ध जैसी परिस्थितियों में उच्च जोखिम वाले अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके अंतर्गत दीर्घ दूरी की गश्त, आसूचना-आधारित अभियान, घात लगाकर कार्रवाई, घात-रोधी कार्रवाई तथा ऐसे क्षेत्रों में अभियान चलाना शामिल है जहाँ तात्कालिक रूप से निर्मित विस्फोटक उपकरणों से गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
- इस बल को छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में माओवादी-विरोधी अभियानों में व्यापक रूप से तैनात किया गया है, जहाँ कमांडो घने जंगलों एवं दुर्गम भू-भाग में अभियान संचालित करते हैं।
- कोबरा में 10 बटालियन शामिल हैं। इनका नेतृत्व एक महानिरीक्षक करते हैं, जो इनके प्रशासनिक नियंत्रण, चयन, प्रशिक्षण एवं रसद सहायता की देखरेख करते हैं।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तथा सशस्त्र सीमा बल शामिल हैं। ये सभी गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं।
- हालाँकि, असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, किंतु इसका परिचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है।

स्रोत: IE

सैन्य अभ्यास "युद्ध अभ्यास"

संदर्भ

- भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास' के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के चमोली जिले के औली में आयोजित किया गया।

परिचय

- यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका प्रारंभ वर्ष 2002 में हुआ था।
- इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं की संयुक्त परिचालन क्षमता को बढ़ाना है, ताकि वे पर्वतीय एवं अर्द्ध-पर्वतीय भू-भाग में समेकित युद्धक समूहों का प्रभावी उपयोग कर सकें। इसमें मुख्य रूप से पैदल सेना-केंद्रित अभियानों पर बल दिया जाता है।
- **अमेरिका के साथ अन्य सैन्य अभ्यास:**
  - युद्ध अभ्यास — थल सेना
  - वज्र प्रहार — विशेष बल
  - मालाबार — नौसेना
  - कोप इंडिया — वायु सेना
  - टाइगर ट्रायम्फ — तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास
- **बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास:** भारत और अमेरिका जिन बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में भाग लेते हैं, उनमें रेड फ्लैग, रिमपैक, कटलेस एक्सप्रेस, सी ड्रैगन तथा मिलन प्रमुख हैं।

स्रोत: AIR

हिमालय एक निर्णायक पर्यावरणीय सीमा की ओर

संदर्भ

- एक हालिया अध्ययन ने चेतावनी दी है कि हिमालयी हिमनदों के तीव्र गति से हो रहे क्षरण के कारण यह क्षेत्र सदी के मध्य तक 'चरम जल उपलब्धता' की स्थिति की ओर बढ़ रहा है, जिसके जल सुरक्षा एवं आपदा जोखिमों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।

चरम जल उपलब्धता के बारे में

- चरम जल उपलब्धता उस स्थिति को संदर्भित करती है, जब हिमनदों के पिघलने से प्रारंभ में नदियों में जल प्रवाह बढ़ता है, किंतु अंततः यह अधिकतम स्तर पर पहुँच जाता है। इसके बाद हिमनदों के आयतन में कमी आने के कारण नदियों का जल प्रवाह घटने लगता है।
- अर्थात, हिमनदों का अधिक पिघलना सदैव अधिक जल उपलब्धता का कारण नहीं बनता। जब हिमनद पर्याप्त रूप से सिकुड़ जाते हैं, तब नदियों में उनके योगदान में कमी आने लगती है।

प्रमुख निष्कर्ष

- **हिमनदों का क्षरण:** सिस्टमिक अध्ययन के अनुसार, हिमालयी हिमनदो का क्षरण एक दशक पूर्व की तुलना में 65% अधिक तीव्र गति से हो रहा हैं।
- **सीमित निगरानी:** हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में अनुमानतः 40,000 हिमनद हैं, किंतु वर्तमान में केवल 21 हिमनदों की स्थल-आधारित निगरानी की जा रही है।
- **आर्थिक महत्त्व:** हिमालयी प्रणालियाँ भारत के 20% से अधिक सकल घरेलू उत्पाद को आधार प्रदान करती हैं। इसलिए यह क्षेत्र भारत की जल, खाद्य एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **आपदा के प्रति संवेदनशीलता:** हिमालयी क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 18% है, किंतु देश की प्राकृतिक आपदाओं में इसका योगदान लगभग 35% है।

स्रोत: TH

एशिया कप

संदर्भ

भारत ने दुबई में महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में श्रीलंका को पराजित कर रिकॉर्ड आठवीं एशिया कप उपाधि प्राप्त की।

एशिया कप (क्रिकेट)

- यह एक द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसमें एशिया की राष्ट्रीय टीमें महाद्वीपीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं।
- इसका प्रथम संस्करण 1984 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 1983 में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन की स्थापना के बाद हुआ था, जो आगे चलकर एशियाई क्रिकेट परिषद का पूर्ववर्ती संगठन बना।
- वर्ष 2016 से एशिया कप में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय तथा ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों को बारी-बारी से अपनाया जाता है।
- एशियाई क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2004 में महिला एशिया कप की शुरुआत की थी।
- वर्ष 2026 तक, भारतीय क्रिकेट टीम ने सर्वाधिक पुरुष एशिया कप उपाधियाँ जीती हैं, जिसके बाद श्रीलंका का स्थान है।
- एशिया कप को एशिया की प्रमुख क्रिकेट प्रतियोगिता माना जाता है। इसमें एशियाई क्रिकेट परिषद के सदस्य देशों के साथ-साथ चयनित सहयोगी सदस्य देशों की टीमें भी भाग लेती हैं।

स्रोत: AIR

■■■